उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

सं0: 201 –विनियम एवं काविनी /पाकालि /2021–17–विनियम/18 (टीसी)(ASR/85) दिनांक 09 मार्च, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की **दिनांक 02.03.2021** को सम्पन्न 164वीं बैठक में पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उपमुख्य लेखाधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक के पदों पर सीधी भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में **''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित)''** के परिषदादेश सं0–335– Regulation-23/SEB-93-ASR-85 dated 26.02.1994 में उक्त पदो हेतु अद्यतन **स्तम्भ–1** के अनुसार उपलब्ध व्यवस्थाओं के स्थान पर **स्तम्भ–2** की व्यवस्था एक चयन वर्ष के लिए निम्नानुसार संशोधित की जाती है :–

Source of Recruitment According Existing Regulation	**New Recommendation to substitute the existing Regulation**
स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
Group-1(A)Audit and Accounts 6. Dy. Financial Adviser/ Dy. Chief Accounts Officer/Dy. Chief Audit Officer By promotion from amongst Sr.Account Officer /Sr. Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such 100%. Provided that after coming in to force of UPSEB Accounts (Officers) service Regulations 1994 recruitment made to the cadre the ratio of 50% by promotion from amongst Accounts Offcier/Sr. Audit Officer and 50% by recruitement from amongst specail Accounts Officer in accordance with Board's Resolution No. Seven (6), 1983 dated 22.12.83 shall be deemed to have been made in relaxation of the said regulations 1984 in accordance with regulation 38 there of and shall be valid notwith standing any thing contailes in these Regulation.	**Group-1(A)Audit and Accounts** **6**–(i) उपमुख्य लेखाधिकारी के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जायेंगी।
7. Financial Advisor and/or Chief Account Officer/or Chief Audit Officer by promotion from Dy. Financial Advisor and/or Dy. Chief Account Officer and/or Dy chief Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such 100%	**7**–(i) **उप महाप्रबन्धक (लेखा)** के 50 प्रतिशत पद उपमुख्य लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जायेगी।
Qualification : **(iv)** Financial Adviser and/or Chief Accounts officer (DGM-Acctt.) and/or Chief Audit Officer: Chartered/Cost Acountants/SAS (Commercial) drawn from Commercial Audit Board, from other large public Sector Undertakings (Central/State), State Electricity Board,	**योग्यता/अर्हता (सीधी भर्ती हेतु) :–** **1. उप महाप्रबन्धक** **(I) वेतनमान** :– सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल–13 (रू0 **1,31,100–2,16,600**) **(II) आयु सीमा** :– अधिकतम **50** वर्ष

d:\kavini files\viniyam files 329\2018\17-vinium-2018 tc- asr-85tc\letter.doc

(क्रमश:....2)

Railways and Defence Accounts Department with atleast 08 years experience.	**(III) शैक्षिक अर्हता** :- सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्ल्यू0ए0) /एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। **(IV) अनुभव**:- सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त **15 वर्ष** का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव **रू0 200 करोड़** या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है। **(v)** सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा। **2. उपमुख्य लेखाधिकारी** **(I) वेतनमान** :- सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (रू0 **1,23,100-2,15,900**) **(II) आयु सीमा** :- अधिकतम **46** वर्ष **(III)** सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्ल्यू0ए0) / एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। **(IV) अनुभव**:- सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त **11 वर्ष** का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव **रू0 200 करोड़** या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/ संस्थान में अनिवार्य है। **(v)** सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/बाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की

	सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा। **3.** उप महाप्रबन्धक एवं उपमुख्य लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम् से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को **साक्षात्कार** के माध्यम् से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार **100 अंको** का होगा।

2. उपरोक्तानुसार **"उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित)"** उक्त सीमा तक, चयन वर्ष 2021–22 में उपमुख्य लेखाधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक पद पर नियुक्ति के लिए, इस परन्तुक के साथ संशोधित मानी जायेगी कि चयन वर्ष 2021–22 के उपरान्त परिषदादेश सं0–335–Regulation-23/SEB-93-ASR-85 dated 26.02.1994 (Fourth amendment) के अनुसार प्रचलित व्यवस्थायें उक्त पदों हेतु स्वमेव पुर्नस्थापित हो जायेगी। इसके अतरिक्त विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

3. उक्त प्रख्यापित कोटे के अन्तर्गत उपमुख्य लेखाधिकारी के **13 पद** तथा उप महाप्रबन्धक के **08 पद** सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं0: 201–(1)–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2021 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव–01, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दि0 02.03.2021 को सम्पन्न 164वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)